28

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28-8-19 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-043/2019/होशंगाबाद/भू.रा. विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम्, संभाग होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1351 / शिकायत (राजस्व) / 2018 होशंगाबाद दिनांक 22-11-2018 जिसके द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम्, संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2007-08 आदेश दिनांक 07-06-2018 के पुर्नाविलोकन की अनुमति चाही गयी है ।

मध्यप्रदेश शासन .....आवेदक

विरूद्ध

घनश्याम आ० मातीलाल
निवासी- ग्राम मालाखेडी तहसील होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 0043/2019/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/8/19	यह प्रकरण आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2008 को पुनर्विलोकन करने के आवेदन से प्रारंभ हुआ है । आयुक्त द्वारा अपना पुनर्विलोकन प्रस्ताव पत्र क्रमांक 1351/शिकायत(राजस्व)/2018 होशंगाबाद, दिनांक 22-11-2018 के द्वारा प्रेषित किया गया है। तहसीलदार होशंगाबाद के द्वारा ग्राम बुधवाड़ा तहसील व जिला होशंगाबाद में कुल रकबा 31.66 एकड़ भूमि का बटवारा 12 व्यक्तियों के बीच में किया है जिसका विस्तृत उल्लेख इस प्रस्ताव में है । आयुक्त ने प्रस्ताव की कंडिका 6 में तहसीलदार के द्वारा इस बंटन में की गई कमियों का विस्तृत उल्लेख किया है । तहसीलदार के द्वारा किये गये बटवारे के संबंध में कलेक्टर जिला होशंगाबाद को शिकायत प्राप्त हुई जिस पर उन्होंने स्वमेव निगरानी में अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2 अ/39 वर्ष 2006-07 पंजीबद्ध किया। इस प्रकरण में सुनवाई के उपरांत उन्होंने दिनांक 25-9-2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार के आलोच्य आदेश दिनांक 31-10-2000 को निरस्त कर दिया । बाद में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2007-08 में दिनांक 4-12-2007 को आदेश पारित कर जिला कलेक्टर का आदेश निरस्त किया तथा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा । 2/ संभागीय आयुक्त द्वारा दिये गये इस आदेश से शासन हित में पुनर्विलोकन करने की अनुमति आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद ने चाही है । 3/ अपने इस पुनर्विलोकन प्रस्ताव में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा उन तथ्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया है जिनके आधार पर प्रश्नाधीन आदेश का पुनर्विलोकन उनके द्वारा चाह जा रहा है । उनसे यह अपेक्षा थी कि पुनर्विलोकन के प्रस्ताव	

में उन बिन्दुओं का स्पष्ट वर्णन होना चाहिये जो पुनर्विलोकन का आधार है । आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद ने अपने इस प्रस्ताव की कंडिका 9 व 10 में कतिपय शिकायत के संबंध में उल्लेख किया है, परन्तु उससे पुनर्विलोकन के आधार स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होते हैं ।

4/ प्रकरण आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पुनर्विलोकन के आधारों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पुनः प्रस्ताव प्रेषित करें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष